

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक 915 अनु0/आरा, दिनांक 26/09/2025

प्रेषक,
ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, आरा।

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, आरा के अधीन शीर्ष MGSY (मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MGSY/24-25/Ara/01 (टेन्डर आई0 डी0- 143619) का पुल निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1957 दिनांक-26.09.2025 एवं विभागीय पत्रांक-5529 दिनांक-26.09.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-1957 दिनांक-26.09.2025 के आलोक में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, आरा के अधीन शीर्ष MGSY (मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या- MGSY/24-25/Ara/01 (टेन्डर आई0 डी0- 143619) का पुल निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार Nandani Construction (बीड आई0डी0-626950) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -11.95% (ग्यारह दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत कम पर अर्थात् ₹ 4,51,91,878.00 (चार करोड़ इक्यावन लाख इक्यानवे हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये) मात्र पर निम्न शर्तों के साथ कार्य आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना का पत्रांक-5529 दिनांक-26.09.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रघन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्य का निष्पादन MGSY (मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु) योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन0एस0सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, विहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

Nandani Construction
Proprietor

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Ara

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्रावकलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।
13. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0 के अनुसार होगी।
14. सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष MGSY (मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु) योजनान्तर्गत राशि से विकलित होगा।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप मुख्य अभियंता-1 को उपलब्ध कराई जाय एवं ओन लाईन मोनेटरिंग हेतु विभाग के उपलब्ध वेबसाइट पर प्रविष्टि की जाय।
17. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे।
18. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जाएंगे।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
20. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
21. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।
22. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे। तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे साथ ही यंत्र संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वस्थ हो लेंगे।
24. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
25. संबंधित कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व वित्तीय बीड एवं कार्य आवंटन आदेश की दर एवं राशि की शुद्धता की जाँच कर लेंगे एवं त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
26. संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0/एम0बी0डी0/सी0एम0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा।
27. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
28. LOA निर्गत करने में विभागीय पत्रांक-6452/पटना दिनांक-13.12.2019 में निहित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

ननु0: - यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा